भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या 4506 /भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 30 नवम्बर, 2023

शुद्धि पत्र (Corrigendum)

इस कार्यालय के पत्र सख्या 4416/भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 के द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 के स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से ठेकेदार/निविदाकार के चयन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है, के अन्तगर्त दिनांक 29.11.2023 को प्री–बिड मीटिंग आहूत की गयी। प्री–बिड में मीटिंग के सम्बन्ध में प्राप्त सुझाओं/आपत्तियों के निराकरण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में निविदा प्रपत्र के कतिपय बिन्दुओं को निम्नवत पढा जायः–

1. बिन्दु–5(क) तकनीकी अर्हता के उपबिन्दु (X) निविदाकर्ता कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में उप खनिज आरबीएम, रेत बजरी, बोल्डर या मिश्रित अवस्था में निविदित की गई मात्रा के 10% या उससे अधिक मात्रा के खनन के व्यापार का अनुभव होना चाहिए।

2. बिन्दु–5(ख) वित्तीय अर्हता के उपबिन्दु–(b) **स्पष्टीकरण के पैरा "क"** शुद्ध परिसम्पति मूल्य से आशय कंम्पनी/भागीदारी फर्म/संमिति/दायित्व भागीदारी फर्म (LLP) की प्रदत्त पूंजी, अधिशेष (जो कि विगत वर्षो में व्यवसाय के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ से निर्मित हो) और प्रतिभूतियों के प्रीमियम से प्राप्त राशि, जिसमें से व्यवसाय के संबंधित वर्ष तक की समस्त हानि, स्थगित व्यय तथा अभी तक अपलेखित न किये गये व्यय के उपरांत, दिनांक 31.03.2022/23 की तिथि में आंकेक्षित तुलन पत्रक (Balancesheet) अनुसार ही मान्य होगी किन्तु इसमें परिसंपतियों के पुर्नमूल्यांकन और अन्य फर्म/कंम्पनी के समामेलन से उदभूत रिजर्वस् (Reserves) शामिल नही होगी। शेष शर्ते यथावत।

3. बिन्दु–9.13 समस्त स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं के धारकों के द्वारा पट्टाधनराशि/ रायल्टी एवं अपरिहार्य भाटक का भुगतान चयनित ठेकेदार/ सफल निविदाकार को किया जायेगा, **परन्तु ई–रवन्ना पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों द्वारा ही जारी किया जायेगा।** पट्टाधारकों/ अनुज्ञाधारकों के द्वारा रायल्टी के अतिरिक्त डी0एम0एफ0 की धनराशि (सम्बन्धित बैंक खाते में), क्षतिपूर्ति की धनराशि (विभागीय लेखा शीर्षक) एवं स्टाम्प शुल्क की धनराशि (स्टाम्प शुल्क के लेखा शीर्षक) पूर्व की भांति पृथक–पृथक रूप से जमा किया जाता रहेगा।

30/11/23

(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक